बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक :–25/04/2025

संख्या **17/आई 1–04/2013–397(17)**.....भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल " इन्दिरा गॉधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023" का संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–
   (i) यह नियमावली "इन्दिरा गॉंधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025" कही जा सकेगी।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (iii) यह नियमावली "इन्दिरा गॉधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियमावली–2023" के प्रवृत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. इन्दिरा गॉधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 के नियम–14(i) का प्रतिस्थापन। –उक्त नियमावली के नियम–14(i) मे निम्नांकित परंतुक जोडा जाता है :–

" परतु यह कि निदेशक की नियुक्ति 05 वर्ष की अधिकतम अवधि या 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी। हालांकि 70 वर्ष की आयु सीमा के अधीन पुनः 05 वर्ष तक के लिए पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। "

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–17/आई–1–04/2013–397(17) **पटना, दिनांक–**25/04/2025

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।